रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 2019/श्रावण 8, 1941
No. 278] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 2019/ SHRAVANA 8, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई , 2019

फा.सं. आरईजी/11/27/ अधिशेष खाद्य/एफ़एसएसएआई-2017.— खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष खाद्य पुन: प्राप्ति और वितरण) विनियम, 2019 का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 11 फरवरी, 2019 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्यांक फा.सं आरईजी/11/27/ अधिशेष खाद्य/एफ़एसएसएआई-2017 तारीख 4 फरवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई हों, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 फरवरी, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

विनियम

अध्याय 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष खाद्य पुन: प्राप्ति और वितरण) विनियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे और खाद्य कारोबार चालक को 1 जुलाई, 2020 से इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

2. परिभाषाएं – (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"अधिनियम"** से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है;

(ख) **"खाद्य दानकर्ता"** से कोई ऐसा व्यक्ति या खाद्य कारबार संचालक अभिप्रेत है जो अधिशेष खाद्य दान देता है;

(ग) **"अधिशेष खाद्य"** से किसी सुरक्षित खाद्य के ऐसे उचिछ्ष्ट अप्रयुक्त भाग अभिप्रेत हैं जो ग्राहकों को परोसे न गए हों;

(घ**) "अधिशेष खाद्य वितरण संगठन"** से ऐसा संगठन अभिप्रेत है जो अधिशेष खाद्य एकत्र करता है और बिना किसी फायदे के मुफ्त वितरण करता है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम, उसके अधीन बने नियमों या विनियमों, में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, क्रमश: जो उस अधिनियम, नियम या विनियम में हैं।

3. क्षेत्र.- ये विनियम खाद्य दाता तथा अधिशेष खाद्य वितरण संगठन जो बिना किसी फायदे के मुफ्त जरूरतमंद लोगों को खाद्य वितरण कर रहे हैं, कि जिम्मेदारी विनिर्दिष्ट करते हैं।

4. खाद्य कारबार संचालक की जिम्मेदारियां. – (1) कोई खाद्य दाता जिसके पास अधिशेष खाद्य है वह ऐसा खाद्य अधिशेष खाद्य वितरण संगठनों को इन विनियमों के उपबंधों अनुसार दान करेगा।

(2) अधिशेष खाद्य, अनुसूची- I के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार रखा जाएगा।

(3) खाद्य व्यापार संचालक किसी भी अधिशेष खाद्य वितरण संगठन को असुरक्षित भोजन वितरित नहीं करेगा।

(4) अधिशेष खाद्य, अधिशेष खाद्य वितरण संगठन को युक्तियुक्त समय पर, यथा स्थिति, इसकी समाप्ति या खराब होने से पूर्व, दे दिया जागा जिससे जरूरतमन्द लोगों को उपभोग के लिए खाद्य के जीवन कल के भीतर उपलब्ध कराया जा सके।

5. अधिशेष खाद्य वितरण संगठन की जिम्मेदारियां - (1) अधिशेष खाद्य वितरण संगठन जो जरुरतमंद लोगों को खाद्य आपूर्ति कर रहे हैं को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और ऐसे खाद्य उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति रखने वाले विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किए जाएंगे।

(2) अधिशेष खाद्य वितरण संगठनों के पास खाद्य के परिवहन, भण्डारण और पुन: गर्म करने के लिए उचित सुविधाएं होंगी और अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन करेंगे।

(3) कोई भी अधिशेष खाद्य वितरण संगठन अधिशेष खाद्य कि समाप्ति या इसके जीवनकाल के पश्चात वितरण नहीं करेगा।

6. दान किये गये खाद्य की लैबलिंग अपेक्षाएँ- (1) दान किये गये खाद्य की लैबलिंग अपेक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि क्या खाद्य अपने मूल पैकेट में है या इसे भोजन के रूप में तैयार किया गया है।

(2) पूर्व पैक हुये दान खाद्य पर उसका पूरा मूल लैबल जिसके अंतर्गत वस्तु का नाम, निर्माता कि जानकारी, सामाग्रियों की सूची, तथा समाप्ति कि तारीख होगी।

(3) जो तैयार खाद्य दान किए गए हैं पर खाद्य का नाम, खाद्य का स्रोत, तैयारी कि तारीख और उपभोग कि अंतिम तारीख के साथ लेबलीकृत किए जाएंगे और खाद्य शाकाहारी है या मांसाहारी यह भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) लैबल पर जानकारी को किसी भी रीति से आच्छादित नहीं किया जाएगा।

7. अधिशेष खाद्य का रिकार्ड रखना.- अधिशेष खाद्य वितरण संगठन और खाद्य दाता अनूसूची- II में विनिर्दिष्ट रूप में अधिशेष खाद्य का रिकार्ड रखेंगे ।

8. मानीटरी समिति.- राज्य या संघ राज्य दोनों यथा स्थिति का खाद्य सुरक्षा आयुक्त राज्य स्तर पर अधिशेष खाद्य के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगा जो राज्य प्रवर्तन अभिकरण से दो सदस्य से व संबद्ध राज्य के उपभोक्ता कार्य विभाग का एक प्रतिनिधि, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से एक सदस्य, अधिशेष खाद्य वितरण संगठन के एक प्रतिनिधि और उद्योग संगम और अन्य संबंधित पदधारियों, यदि कोई है, से एक प्रतिनिधि से मिलकर बनेगी।

9. मानीटरी समिति के कार्य- (1) मानीटरी समिति अधिशेष खाद्य वितरण संगठन और खाद्य दाताओं के काम करने के तरीकों में सुधार पर सिफारिश और निगरानी करेगी।

(2) मानीटरी समिति खाद्य वितरण संगठन के खाद्य संचालकों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर सकेगी और इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वियन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर सिफारिशें भी कर सकेगी।

10. खाद्य प्राधिकरण द्वारा मार्गदर्शन और सहयोग- (1) खाद्य प्राधिकरण, दान के लिए खाद्य जो उनकी समाप्ति के निकट हैं, को एकत्र और पुन: प्राप्ति पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा और इन नियमों के अधीन आने वाले खाद्य कारबार संचालकों के प्रचालन में सहयोग उपलब्ध कर सकेगा ।

(2) खाद्य प्राधिकरण खाद्य समाप्ति से पूर्व समय विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिस पर खाद्य को पृथक किया जाएगा।

अनूसूची-I

(विनियम 4 और 5 देखें)

1. खाद्य कारबार संचालक के द्वारा अधिशेष खाद्य को प्रबंध करना-

1) अधिशेष खाद्य जो खाद्य वितरण संगठन को दान में दिया जाना है, सुरक्षित होगा और विनश्वर और गैर-विनश्वर के रूप में पृथक किया जाएगा।

2) पृथक किया गया खाद्य को उचित रूप से पैक किया जाएगा जिससे इसे नियंत्रित और भंडारण के दौरान संदूषण से बचाया जा सके।

3) विनश्वर और गैर-विनश्वर अधिशेष खाद्य उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम तापमान पर स्वास्थ्यकर स्थिति में रखा जाएगा ।

4) अधिशेष खाद्य किसी अपशिष्ट पदार्थ या उत्पादों के साथ नहीं रखा जाएगा।

5) खाद्य दाता खाद्य वितरण संगठन को ऐसी अग्रिम सूचना, जिससे खाद्य को उसके जीवन काल के भीतर यथा समय वितरण और उपभोग सुनिश्चित करने के लिए देगा।

2. खाद्य वितरण संगठन के द्वारा अधिशेष खाद्य नियंत्रण और वितरण करना -

1) अधिशेष खाद्य खाद्य कारबार संचालक से उठाया जाएगा और स्वच्छ तथा ढके हुए डिब्बों में पैक किया जाएगा तथा जैसे खाद्य प्राप्त करने की तारीख तथा उपयोग करने की अन्तिम तारीख व अपेक्षित तारीख चिन्हित होंगी ।

2) अधिशेष खाद्य, समुचित स्वास्थ्यकर स्थिति में विनश्वर और विनश्वर खाद्य के लिए, पृथकत; समुचित अधिकतम तापमान पर भंडारित और वाहित किया जाएगा। ऊष्मा रोधी डिब्बे और बर्फ पैक, यदि आवश्यक हो, नियंत्रित करने और परिवहन के दौरान खाद्य तापमान बनाए रखने के लिए प्रयोग किए जा सकेंगे। खाद्य के परिवहन के लिए ऐसे उपस्करों एवं बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए जो कि खाद्य के सीधे संपर्क में आने के लिए अपेक्षित है, ऐसे बर्तन गैर-विषाक्त, खाद्य ग्रेड पदार्थ से निर्मित होने चाहिए जिंका रख-रखाव और सफाई करना आसान हो।

3) अधिशेष खाद्य का यथा स्थिति, अधिशेष खाद्य की समाप्ति से पूर्व या जब तक खाद्य मानव उपभोग के लिए ठीक रहता है, जरूरतमन्द लोगों को वितरित कर दिया जाएगा या परोस दिया जाएगा।

4) खाद्य जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है को किसी डिब्बे में स्पष्टत: "निपटान के लिए खाद्य" अंकित किया जाएगा ।

5) खाद्य को फर्श से ऊपर, दीवारों तथा गैर-खाद्य वस्तुओं से दूर भण्डारित किया जाएगा। भण्डारण क्षेत्र जिसके अंतर्गत फर्श, पैलेट और अलमारियों को नियमित रूप से साफ किया जाएगा।

6) जहां अधिशेष खाद्य को रखने के लिए प्रशीतित्र का प्रयोग किया जाता है तो प्रशीतित्र सप्ताह में कम से कम एक बार साफ किया जाएगा। प्रशीतित्र के अन्दर का तापमान 7°से. से कम रखा जाएगा।

7) भण्डारण क्षेत्र की छत, दरवाजे, तथा खिडकियों को किट प्रवेश करने से रोकने के लिए अच्छी तरह से सील किया जाएगा और ऐसे क्षेत्रों में कीट नियंत्रण कार्यक्रम समय समय पर करवाया जाएगा।

8) वितरण संगठन के साथ काम करने वाले सभी कर्मचारी या स्वंयसेवी जो खाद्य के सीधे सम्पर्क में आते हैं, नाखूनों को कटे रखेंगे और साफ बाह्य कपडे पहनेंगे। और कार्य शुरु करने से पहले और यथा आवश्यक विशेषकर खाना खाने के बाद, खाना संभालने से पहले या प्रसाधनों आदि के प्रयोग के पश्चात उनके हाथ धोएँगे।

9) ऐसे किसी भी क्षेत्र में जहां खाना खुला हुआ हो या जहां पर बर्तनों या उपकरणों की धुलाई होती हो ऐसे क्षेत्रों में खाना खाने से, पीने या तम्बाकू उत्पादों का सेवन से बचा जाएगा।

10) कोई व्यक्ति, खाद्य के माध्यम से संचारी किसी बीमारी के दौरान, खाद्य के संपर्क में नहीं आएगा। चोट, फोड़े और घाव ढक कर रखे जाएंगे।

अनूसूची- II

(विनियम 7 देखें)

1. अधिशेष खाद्य का रिकॉर्ड रखा जाएगा-

(1) खाद्य दाता संगठन का नाम और पता;

(2) अधिशेष खाद्य वितरण संगठन का नाम और पता;

(3) दान की तारीख;

(4) उत्पाद का नाम (वस्तु);

(5) खाद्य उत्पाद (वस्तु) की बैच संख्या;

(6) विनिर्माण की तारीख;

(7) तारीख से पूर्व सर्वोत्तम या समाप्ति तारीख;

(8) खाद्य दाता द्वारा दान की गई मात्रा;

(9) खाद्य का तापमान;

(10) अधिशेष खाद्य वितरण संगठन द्वारा वितरित मात्रा;

(11) क्षेत्र, जहां खाद्य वितरित किया गया है;

(12) वितरण तारीख।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./167/19]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2019

F. No. REG/11/27/ Surplus Food/FSSAI-2017.— Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Recovery and Distribution of Surplus Food) Regulations, 2019 were published as required by section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number No. REG/11/27/ Surplus Food/FSSAI-2017, dated 4th February, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 11th February, 2019, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 11th February, 2019;

And Whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 of the said Act and with the previous approval of the Central Government, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations, namely:-

REGULATIONS

CHAPTER I

GENERAL

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Recovery and Distribution of Surplus Food) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations by 1st July, 2020.

2. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,--

(a) **"Act"** means the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);

(b) **"food donor"** means any person or food business operator who donates surplus food;

(c) **"Schedule"** means a schedule annexed to these regulations;

(d) **"surplus food"** means any leftover unused portions of safe food that have not been served to the customers;

(e) **"surplus food distribution organisation"** means any person or any organisation that collects surplus food from food donor and distributes directly to any person free of cost without any profit.

(2) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, rules or regulations made thereunder, shall have the meanings assigned to them in the Act, rules or regulations, respectively.

3. Scope.- These regulations specify the responsibility of the food donor and surplus food distribution organisations those who are engaged in distributing the surplus food to any person free of cost.

4. Responsibilities of food business operator. – (1) Any food donor having surplus food may donate such food to any surplus food distribution organisation in accordance with the provisions of these regulations.

(2) The surplus food shall be maintained in accordance with the requirements specified in Schedule–I.

(3) The food business operator shall not distribute unsafe food to any surplus food distribution organisation.

(4) The surplus food shall be handed over to surplus food distribution organisation at a reasonable time before it gets spoiled or its expiry, as the case may be, so that the food is made available to needy persons for consumption within the shelf life of the food.

5. Responsibilities of surplus food distribution organisation. - (1) Surplus food distribution organisation which is serving food to needy person shall be regulated in accordance with the provisions of the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011 and such foods shall be obtained from reliable sources having valid registration or license in accordance with the provisions of the Act.

(2) The surplus food distribution organisation shall have proper facilities for transport, storage and reheating, and shall comply with the requirements specified in Schedule-I.

(3) No surplus food distribution organisation shall distribute surplus food after the expiry of its shelf life.

6. Labeling requirements of donated foods.- (1) The requirements for labeling of donated food depends on whether the food is in its original package or has been prepared as meal.

(2) Donated pre-packed food shall bear its complete original label, including name of the item or food, manufacturer information, list of ingredients, and date of expiry.

(3) Donated prepared food shall be labeled with the name of the food, the source of the food, the date of preparation and last date of consumption and also specify whether the food is vegetarian or non-vegetarian.

(4) The information on the label shall not be masked in any manner.

7. Maintenance of record of surplus food.- The food donor and surplus food distribution organisation shall maintain the record of surplus food as specified in Schedule-II.

8. Monitoring Committee.- The Commissioner of Food Safety of the State or, as the case may be, the Union territory shall constitute a monitoring committee for surplus food at State level consisting of two members from State enforcement agency, one representative from Department of Consumer Affairs of the respective State, one member from non-governmental organisation , one representative from surplus food distribution organisation and one representative from industry association and other relevant stakeholders.

9. Functions of monitoring committee.- (1) The monitoring committee shall monitor and make recommendations on the improvement of the operations by the surplus food distribution organisation and food donors.

(2) The monitoring committee may also conduct training programs in health and hygiene for the food handler of food distribution organisation and also make recommendations on issues arising from implementation of the provisions of these regulations.

10. Guidance and support by Food Authority.- (1) The Food Authority may issue guidelines on collection and retrieval of food, which is near to their expiry, for donation and provide guidance to support the operations of food business operators covered under these regulations.

(2) The Food Authority may also specify the time before the expiry, at which food shall be segregated.

Schedule-I

(see regulation 4 and 5)

1. Handling of surplus food by the food business operator. – (1) Surplus foods that are to be handed over to food distribution organisation shall be safe and segregated in to perishable and non-perishable.

(2) The segregated food shall be packed appropriately so as to avoid contamination during handling and storage.

(3) Perishable and non-perishable surplus food shall be stored in hygienic condition at optimum temperature to ensure their safety.

(4) Surplus food shall not be kept with any waste material or products.

(5) The food donor shall give an advance notice to the surplus food distribution organisation so as to ensure a timely distribution and consumption of the food within its shelf life.

2. Handling and distribution of surplus food by the surplus food distribution organisation. -

(1) Surplus food shall be picked up from the food business operator's facility and packed in clean and covered containers. Such food containers shall have the required date marking such as pick-up date and the use by date of food.

(2) Surplus food shall be stored and transported in clean and sanitized vehicles in appropriate hygienic condition at appropriate optimum temperature suitable for perishable and non-perishable food separately. Insulated containers and ice packs, if necessary, may be used to maintain food temperature during handling and transportation. Food transport

equipment/ utensils that are intended to be in direct contact with food products should be constructed with non-toxic, food grade materials, which shall also be easy to clean and maintain.

(3) Surplus food shall be distributed or served to the needy before the expiry of surplus food or until food is fit for human consumption, as the case may be.

(4) Food that is not fit for human consumption shall be put in a container clearly marked as "Food for Disposal".

(5) Food shall be stored off the floor and away from walls and non-food items. storage area, including the floor, pallets and shelves shall be cleaned regularly.

(6) Where refrigerator is used for storage of surplus food, these shall be cleaned at least once a week to remove stains, ice particles and food particles. The temperature in the refrigerator shall be maintained below 7oC.

(7) Doors, windows and roofs of storage area shall be well sealed to prevent pest entry and a pest control program shall be in place for such areas.

(8) All employees or volunteers that work with distribution organisation and come in direct contact with food shall keep their finger nails trimmed and shall wear clean outer garments and wash their hands before starting work, and as often as necessary, especially after eating handling or using the washroom, etc.

(9) Avoid eating food, drinking beverages, or using tobacco in any form in areas where food is exposed, or in areas used for washing equipment or utensils shall be avoided.

(10) No person shall come in contact with food during any illness that is communicable through food. Cuts, boils and wounds shall be covered.

(11) All employees or volunteers that work with distribution organisations and come in direct contact with food shall have training in health and personal hygiene.

Schedule-II

(See regulation 7)

Record of surplus food to be maintained.-

(1) Name and address of the food donor organisation;

(2) Name and address of surplus food distribution organisation;

(3) Donation date;

(4) Name of the food product (item);

(5) Batch number of food product (item) ;

(6) Date of manufacturing;

(7) Best before date or expiry date;

(8) Quantity donated by food donor;

(9) Temperature of food;

(10) Quantity distributed by surplus food distribution organisation;

(11) Area where food is distributed;

(12) Date of distribution.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./167/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.08.01 20:00:43 +05'30'